भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1366

उत्तर देने की तारीख 01.07.2019

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

†1366 श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु कक्षा नौवीं और दसवीं में नामांकित छात्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार द्वारा निर्गत निधि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) कर्नाटक में राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत शामिल संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क): अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों (IX और X) के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है | स्कीम के तहत कक्षा IX तथा X में दाखिल छात्रों का विवरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है | राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर स्कीम के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान लाभार्थियों का राज्य वार विवरण **अनुलग्नक I** पर दिया गया है:
(ख): अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

	वर्ष	निर्मुक्त की गई निधियां (राशि लाख रू. में)
1	2017-18	1282.50
2	2018-19	1004.00

(ग): वर्ष 2015-16 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्री य क्षेत्र की दो छात्रवृत्ति स्कीमों, नामत: (i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (ii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा को 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एकल स्कीम में मिला दिया गया है | स्कीम के दिशानिर्देशों, 12.11.2018 को यथा संशोधित, के पैरा 3.1 के अनुसार स्कीम के "राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" घटक के तहत कर्नाटक सहित देश भर में कवर किए जाने वाले संस्थानों का विवरण इस प्रकार है:
(i) यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) या 12(ख) या 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिल्लित विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय
(ii) यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल विश्वविद्यालय और यूजीसी से अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र विश्वविद्यालय
(iii) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय
(iv) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

उन विश्वविद्यालयों / संस्थानों, जिनमें ये विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अभी अध्येतावृत्ति राशि प्राप्त कर रहे हैं, का विवरण इस प्रकार है:-

1. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2. बंगलौर विश्वविद्यालय
3. गुलबर्ग विश्वविद्यालय
4. कर्नाटक विश्वविद्यालय
5. कुवेम्पु विश्वविद्यालय
6. मंगलौर विश्वविद्यालय
7. टुमकुर विश्वविद्यालय
8. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
9. मैसूर विश्वविद्यालय
10. कन्नड़ विश्वविद्यालय
11. मणिपाल विश्वविद्यालय
12. बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय
13. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर
14. कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय शिवमोगा

15 मत्स्य पालन महाविद्यालय, मंगलौर

16 श्री जयचामराजेन्द्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय

17 विजयनगर श्री कृष्णदेवार्या विश्वविद्यालय, कर्नाटक

18 कर्नाटक फॉकलोर विश्वविद्यालय

19 सहयाद्री विज्ञान महाविद्यालय, कर्नाटक

*****

अनुलग्नक I

दिनांक 010.7 2019.को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के संबंध में पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1366 के भाग के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक (क)I

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**2017-18**	**2018-19**
		लाभार्थी	**लाभार्थी (अस्थायी)**
1	अंडमान और निकोबार	353	222
2	आंध्र प्रदेश	34529	59146
3	अरुणाचल प्रदेश	3794	-
4	असम	2740	79526
5	बिहार	-	12419
6	छत्तीसगढ़	191864	-
7	दादर और नगर हवेली	5226	-
8	दमन और दीव	468	-
9	गोवा	3640	-
10	गुजरात	151113	139605
11	हिमाचल प्रदेश	1705	-
12	जम्मू और कश्मीर	4979	-
13	झारखंड	104942	-
14	कर्नाटक	59448	-
15	केरल	14265	16245
16	मध्य प्रदेश	362120	359092
17	महाराष्ट्र	-	-
18	मणिपुर	9189	-
19	मेघालय	966	-
20	मिज़ोरम	9783	14880
21	नगालैंड	10715	-
22	ओडिशा	211425	204916
23	राजस्थान	101696	-
24	सिक्किम	212	-
25	तमिलनाडु	19651	-
26	तेलंगाना	6196	-
27	त्रिपुरा	11662	-
28	उत्तर प्रदेश	-	-
29	उत्तराखंड	6256	-
30	पश्चिम बंगाल	79030	9030
	योग	**1407967**	**895081**